

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्रमांक :-प.10(614) परि/स.सु./रा.याता.प्र.समिति/2018/6153-67 जयपुर, दिनांक 23/03/18

श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित यातायात प्रबंधन समिति की दिनांक 16.03.2018 को 'रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 295/2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.2017' में प्रदत्त निर्देशों की पालना के क्रम में आयोजित 9वीं बैठक का कार्यवाही विवरण।

'रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 295/2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.2017' में प्रदत्त निर्देशों की पालना के क्रम में श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित 'राज्य स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति' की 9वीं बैठक दिनांक 16.03.2018 को समिति कक्ष संख्या-1, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

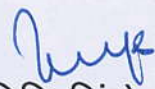
अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में सर्वप्रथम 'राज्य स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति' की दिनांक 04.04.2016 को आयोजित 8वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा पर सन्तोष व्यक्त किया गया। तत्पश्चात् बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिये गये—

1. वित्त सम्बन्धित चर्चाओं पर निर्णय के दृष्टिगत अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति के सदस्यों में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग को भी सम्मिलित किया जाकर समिति के गठन आदेश में तदानुसार संशोधन करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में संचालन समिति से स्वीकृत राशि रु. 10 करोड़ के ब्लैक स्पॉट दुरस्तीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर शीघ्र क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया। इस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा माह जून 2018 तक ब्लैक स्पॉट दुरस्तीकरण का कार्य पूर्ण किये जाने का आश्वासन दिया गया।
3. 'समर्पित सड़क सुरक्षा कोष' में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चालानों से प्राप्त प्रशमन राशि की 25% राशि को बढ़ाकर 50% किये जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 'गोल्डन ऑवर' में प्राथमिक चिकित्सा हेतु 108 ऐम्बुलेंस द्वारा निकटतम सरकारी/निजी चिकित्सालय में ही ले जाया जावे। इस हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐम्बुलेंस कर्मियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जावे।

5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को समस्त सरकारी/निजी चिकित्सालयों से गुड सेमेरिटन गाइड लाइन्स के प्रदर्शन की अनुपालना का प्रमाणीकरण प्राप्त करके रिपोर्ट सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत कर जा सके। साथ ही इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निजी चिकित्सालयों के संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये।
6. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उनके विभाग में 108/104 ऐम्बुलेंस हेतु पूर्व से स्थापित कॉल सेन्टर पर सरकारी/निजी चिकित्सालयों में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की अनदेखी अथवा इलाज में लापरवाही एवं गुड सेमेरिटन गाईड लाइन्स की अवहेलना से सम्बन्धित शिकायतों को सुने जाने व उन पर समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
7. बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति के सदस्य अधिकारियों के स्वयं उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आगामी बैठकों में समिति के सदस्यों तथा समस्त रोड ऑनिंग/मैनेजिंग ऐजेन्सीज के अधिकारियों को आवश्यक रूप से व्यक्तिशः उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये गये।
8. ब्लैक स्पॉट निवारण के सम्बन्ध में समस्त रोड ऑनिंग/मैनेजिंग ऐजेन्सीज को निर्देशित किया गया की उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति को प्रस्तुत किये गये प्रोटोकॉल के अनुसार समयबद्ध रूप से ब्लैक स्पॉट्स का निवारण कर प्रगति रिपोर्ट सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग को समय पर प्रेषित करें ताकि आगामी राज्य स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
9. समस्त हितधारक विभागों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उनके द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की समयबद्ध रूप से पालना करके अनुपालना रिपोर्ट सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से अर्धशासकीय पत्र द्वारा निर्देश जारी करवाये जाने का निर्णय लिया गया ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उनके द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के समक्ष रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जा सके।

बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(निधि सिंह)
उप परिवहन आयुक्त
(सड़क सुरक्षा)

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन मार्ग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त, राजस्थान।
7. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, पुलिस हेड क्वार्टर, लाल कोठी, जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. प्रतिनिधि, मुस्कान संस्था, 45, हरी किशन सोमानी मार्ग, हथरोही, अजमेर रोड, जयपुर।
14. प्रतिनिधि, पीपुल्स ट्रस्ट, 30, प्रताप नगर कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर।
15. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।


उप परिवहन आयुक्त
(सड़क सुरक्षा)

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 295/2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.2017 में प्रदत्त निर्देशों की पालना के क्रम में श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16.03.2018 को आयोजित बैठक में उपस्थिति का विवरण

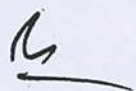
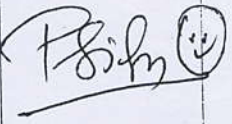
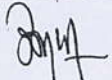
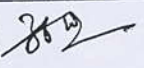
क्र.सं.	नाम	पद	विभाग का नाम	टेली./मो. नम्बर/ई-मेल	हस्ताक्षर
1	हुकेश शर्मा	ACS	UDH		
2	JP Gahlot	DGP			
3	Jagan Srinivas		Police		
4	Kuldeep Ramesh		and RSTC		
	B.K. Maheshwar	CE	DCB		
6	C. L. VERMA	Chief Engineer	PWD		
7	M. K. Jain	CGM	NHAI		
8	V. K. Jain	MDM	NHAI RD Dept		
9	Dr. Vijay Singh	CEE	RP&B, Jaipur		
10	Dr. Mridul Bhai	Hg. Trust	Muskaan NGO.		
11	MS. NEHA KHULBE	DIRECTOR projects	MUSKAAN NGO		
12					

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

'रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 295/2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.2017' में प्रदत्त निर्देशों की पालना के क्रम में श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16.03.2018 को आयोजित बैठक में उपस्थिति का विवरण

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग का नाम	टेली./मो. नम्बर/ई-मेल	हस्ताक्षर
13	DEEPAK UPRETI	ACS	Home		
14	Noranj ABEDO	AREEO	Education	9460142051	नोरज
15	DHARMENDRA KUMAR JAIN	ADEO	— do —	9413156426	
16	Amur Singh Chanchliya	SO	— do —	9414440018	
17	Ganeshyans Sharma	DS	Education	94143 89535	
18	PRERNA SINGH	CEO & Managing Trustee	Peoples Trust	9829733893	
19	Ravi singh	Sec.	Peoples Trust	98297.3358	Rei
20	DR. R.P meena	JA (HA) DMHS	medical & health services	9414150555	
21	Dr. L.N. Pandey	MO (KS)	Transport	9314242191	
22	Tejpal Singh	DY.S.P.	Transport	9414413877	
23	Swati Dixit	MVI Transport	Transport Deptt	9413346245	Swati
24	Anil K. Jain	RTO	Transport Deptt.	941411789	

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 295/2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.2017 में प्रदत्त निर्देशों की पालना के क्रम में श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16.03.2018 को आयोजित बैठक में उपस्थिति का विवरण

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग का नाम	टेली./मो. नम्बर/ई-मेल	हस्ताक्षर
25	M.K. Sharma	EE (R.S. Cell)	Transport	8959039211	MS. Sharma
26	Gopal Lal Arora	EE (R.S.) PWD	Transport	9413142406	mm n
27	Nidhi Singh	By TC (R.S.)	Transport	9460145972	huf.
28	Govind Palohit	UDC	Transport		सचिव
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					